जैसलमेर रोड़ पर बनी सर्विस लेन व सड़क से तुरंत अतिक्रमण हटाएं : कलेक्टर

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बस में बैठकर जैसलमेर रोड का जायजा लिया। करीब चार घंटे तक इस रोड का सघन निरीक्षण किया।

जिला कलेक्टर ने पीडब्लयूडी, एनएचएआई, नगर निगम, बीकानेर विकास प्राधिकरण, परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को अवैध कट बंद करवाने, सर्विस रोड और आरओडब्लयू (राइट ऑफ वे) पर अतिक्रमण हटाने, डिवाइडर्स की मरम्मत करवाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर, साइनेज बोर्ड इत्यादि लगाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जैसलमेर रोड़ पर बनी सर्विस लेन और आरओडब्लयू पर हुए अतिक्रमण को रविवार तक तत्काल प्रभाव से हटाएं। उन्होंने नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से हटाई गई या खोली गई रेलिंग्स बंद करने, नाल एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने रोड के दोनों तरफ रंबल स्ट्रिप लगाने, नाल ओवरब्रिज के पास हुए डिवाइडर को ठीक करने, नॉर्म्स के अनुसार पौधे लगाने, नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बिक रही शराब की दुकानों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ संबंधित अधिकारियों के सहयोग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि व पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने जैसलमेर रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए जायजा लिया।

- कलेक्टर-एस.पी. ने अधिकारियों के साथ बस में बैठकर लिया जैसलमेर रोड का जायजा
- कलेक्टर ने रविवार तक जैसलमेर रोड की सर्विस लेन और राइट ऑफ वे के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

वृष्णि ने पीडब्लयूडी के अधिकारियों को पूगल फांटे के जंक्शन को मानक अनुसार री-डिजाइन करने, उरमूल सर्किल से पूगल फांटे तक पीडब्लयूडी रोड के पटड़ों (इंटरलॉकिंग टाइल्स) पर से मिट्टी हटाने, डिवाइडर की मरम्मत करने, अवैध कट को बंद करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (आरएसएचए) के अधिकारियों को पूगल रोड पर पूगल फांटे से सब्जी मंडी से आगे आरओबी तक यूआईटी के सहयोग से अवैध कट बंद कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगर निगम और बीडीए के अधिकारियों को जैसलमेर रोड़ ओवरब्रिज से कोठारी अस्पताल तक नाले पर हुए अतिक्रमण हटा कर नाले की सफाई करवाने, डूडी पेट्रोल पंप चौराहे के पास कब्रिस्तान की दीवार के पास अतिक्रमण हटाने, पंडित धर्म कांटे के सामने मलबे को हटाने व सौन्दर्यीकरण करने, एमजीएसयू तक रोड पर लगे अवैध खोखे हटाने, पूगल सब्जी मंडी के आगे लगे सब्जी फ्रूट के खोखों को पीछे करने व आगे डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए।

जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को यातायात मानकों के अनुसार सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस व संबंधित थाना पुलिस को हाईवे पर नियमित पेट्रोलिंग करने और अतिक्रमण नहीं होने देने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने जैसलमेर की ओर से आने वाले और जयपुर, श्रीगंगानगर और नोखा की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को बाईपास के जरिए ही निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने नाल ओवरब्रिज से फन वर्ल्ड वॉटर पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते में पिछले तीन सालों में 23 दुर्घटनाएं होने के कारण स्वरूपदेसर, पलाना की तरफ आने वाले वाहनों को रोंग साइड से नहीं आने देकर आरओबी के नीचे से हाईवे तक आने की व्यवस्था सुनिश्चित करने व नाल ओवरब्रिज के पास क्षतिग्रस्त डिवाइडर को ठीक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, एडीएम सिटी रमेश देव, नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, एडिशनल एसपी ग्रामीण कैलाश सांदू, सीओ सिटी श्रवण दास संत, जिला परिवहन अधिकारी भारती नथानी, बीडीए के अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ओझा, पीडब्लयूडी एसई ओ.पी. मंदर, अधिशासी अभियंता शहर राजीव गुप्ता, सहायक अभियंता रोहिताश सिंह, नगर निगम अधिशासी अभियंता पवन बंसल आदि मौजूद थे।

राजसखी बीकाणा मेला शुरू

बीकानेर, (कासं)। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं राजीविका स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित 'राजसखी बीकाणा मेला 2025' बुधवार को शुरू हुआ।

मेला का उद्घाटन बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी और कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने किया। जिला प्रशासन और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह सात दिवसीय मेला व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हॉट में 5 से 11 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 10 से रात 9 बजे तक चलेगा। विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि राजस्थान आर्ट और क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। बीकानेर इसमें काफी आगे है। कलाकार और राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो खासा लाभ होता है।

कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने राजवीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से आव्हान किया कि वे थोड़ा और अभिनव उत्पाद बनाएं। उनमें थोड़ा और मूल्य संवर्धन करें तो बाजार का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि उक्त मेले में राज्य भर से 60 महिला स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न हस्त निर्मित उत्पादों की स्टॉल्स लगाई गई है। प्रतिदिन शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, जैविक खेती, व्यावसायिक संवर्द्धन कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

सार-समाचार

गर्भावस्था पर जानकारी दी

पुस्तक प्रेग्नेंसी यात्रा का प्री लांच इवेंट का शुभारंभ विधायक सिद्धि कुमारी ने किया।

बीकानेर, (कासं)।पुस्तक प्रेग्नेंसी यात्रा: ए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड का विशेष प्री-लांच इवेंट आज बीकानेर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीकानेर की विधायक सिद्धि कुमारी ने गर्भावस्था से संबंधित खंड का आधिकारिक लांच किया। इस पुस्तक को प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शैफाली दाधिच ने लिखा है, जिसमें गर्भावस्था देखभाल पर व्यापक जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉ. अरुण तुनगरिया लेखिका डॉ. शैफाली दाधिच , शिवेंद्र दाधीच, प्रेमरतन जांगिड़, अभिषेक दाधीच, अभिराज और अंकुश उपस्थित थे। इस अवसर पर सुश्री सिद्धि कुमारी ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत लाभकारी होगी। डॉ. शैफाली दाधिच ने पुस्तक लिखने के अपने उद्देश्य को साझा करते हुए बताया कि यह पुस्तक गर्भावस्था देखभाल को आसान और चरणबद्ध तरीके से समझाने के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगी, जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल, आहार, मानसिक स्वास्थ्य और गर्भावस्था से जुड़ी सामान्य समस्याओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। पुस्तक का आधिकारिक लॉन्च जल्द ही किया जाएगा, जिसे महिलाओं खासकर गर्भवती महिलाओं में उत्सुकता से प्रतीक्षित किया जा रहा है।

पर्यटन स्थलों का होगा सौन्दर्यकरण

बीकानेर, (कासं)। प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, परम्पराओं का संरक्षण करते हुए देश और दुनिया के पर्यटकों को इनसे रूबरू करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन विकास को लेकर ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। अतिथि देवो भव: की परंपरा को साकार करने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। इसी श्रृंखला में बीकानेर जिले के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार व अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें बीकानेर सहित अन्य 22 जिलों के उच्च शहरीकृत शहरों एवं उनके 42 सैटलाइट टाउन में पर्यटन, हेरिटेज, कमांड कंट्रोल सेंटर व बाढ़ प्रबंधन संबंधित कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर सहित 5 जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं हेरिटेज स्मारकों पर आवश्यक आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन 100 करोड़ रूपए की लागत से करवाया जाएगा। प्रदेश में डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से बीकानेर में पीपीपी मोड पर कार्य करवाए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को आवश्यक स्किल अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स 35 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित की जाएंगे।

बिना लाइसेंस की मिठाई फैक्ट्री बंद कराई, 30 किलो मिठाई नष्ट

बीकानेर, (कासं)। गुरूवार को सीएमएचओ डॉ पुखराज साध के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने रानी बाजार गुरूद्वारे के पास स्थित एक फैक्ट्री पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई की और फैक्ट्री को तत्काल बंद करवाया।

होली त्यौहार पर बीकानेर वासियों को शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक मिठाईयां उपलब्ध हो सके इसके लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। डॉ साध ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार मिठाई की दुकानों के साथ-साथ उनकी फैक्ट्रियों की भी जांच की जा रही है। इसी क्रम में जुगल स्वीट्स की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया।

बीकानेर के रानी बाजार में बिना लाइसेंस चल रही मिठाई की फैक्ट्री का निरीक्षण कर सीएचएचओ डॉ पुखराज साध ने बंद कराया।

बिना खाद्य लाइसेंस की फैक्ट्री में कबाड़ और गंदगी के ढेर पर भिनभिनाती मक्खियों व लटकते खुले बिजली के तारों के बीच मिठाई व बेकरी उत्पाद बनाए जा रहे थे। आधे अधूरे सिविल वर्क की फैक्ट्री में फर्श टूटा हुआ था। उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। दीवारों पर गंदगी जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। खाद्य पदार्थों में अत्यधिक रंग का उपयोग पाया गया। फैक्ट्री में ना तो पानी जांच और ना ही पेस्ट कंट्रोल का कोई रिकॉर्ड पाया गया।

कार से हेरोइन बरामद

अनूपगढ़, (कासं)। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार किया।

एसआई सरदार सिंह मीणा के अनुसार, 22 ए की ओर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी की गई थी। केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से एक कार आती दिखाई दी। नाकाबंदी देख कार चालक ने पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गुरविंदर सिंह उर्फ राजू बताया। वह वार्ड नंबर 8 अनूपगढ़ का रहने वाला है। पुलिस को शक होने पर जब कार की तलाशी ली गई तो डेशबोर्ड से 1.84 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार को भी जब्त कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। उसने बुधवार को 2500 रूपए प्रति ग्राम के हिसाब से यह हेरोइन खरीदी थी।

बीकानेर में 214 सेंटर पर बोर्ड परीक्षा शुरू

बीकानेर, (कासं)। प्रदेशभर में गुरूवार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा शुरू हो गई। बीकानेर के 214 सेंटर पर करीब 72 हजार स्टूडेंट्स सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी क्लास की परीक्षा दे रहे हैं।

परीक्षा के दौरान सभी सेंटर्स पर कड़ी निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता लगाया गया है। वहीं नकल रोकने के लिए छापेमारी करने वाले शिक्षा विभाग के दल भी सक्रिय हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने बताया कि बीकानेर में सीनियर सैकण्डरी के 31 हजार 499 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। बीकानेर में सैकण्डरी के 41 हजार 544 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। सुबह की पारी में सैकण्डरी की परीक्षा शुरू हुई। दूसरी पारी में सीनियर सैकण्डरी के स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। बीकानेर में कुल 214 सेंटर बनाये गए हैं। इसमें तीन प्राइवेट स्कूल भी सेंटर के रूप में शामिल हैं।

- करीब 72 हजार विद्यार्थी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा दे रहे हैं
- नकल रोकने के लिए के फ्लाइंग सक्रिय

परीक्षा पेपर पुलिस थानों में रखे गए हैं। अलग-अलग थानों में रखे पेपर परीक्षा शुरू होने से ठीक पंद्रह मिनट पहले केन्द्र अधीक्षक को सौंपे जायेंगे। परीक्षा के दौरान जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की फ्लाइंग भी काम करेगी। ये फ्लाइंग कभी भी किसी भी स्कूल में पहुंच सकती है। एक-एक स्टूडेंट की पूरी छानबीन की जा सकती है। परीक्षा को लेकर बोर्ड अजमेर ने अलग से निर्देश जारी किए हैं।

जिला स्तरीय समिति का गठित

बीकानेर, (कासं)। भूजल स्तर में वृद्धि करना, गिरते भूजल के स्तर को रोकना, व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल संग्रहण, पुनर्भरण एवं संरक्षण तथा राज्य में भविष्य में विभिन्न उपयोग हेतु भूजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान का शुभारंभ किया गया है।

वाद पत्रों के लिए स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 नियम 1 और जाब्ता दिवानी परिशिष्ट-ख-संख्या 2)
अज उपखण्डअधिकारी राजस्व मुकाम श्रीगंगानगर व इजलास श्री रणजीत कुमार आर.ए.एस. वादी अखाराम प्रतिवादी घनश्याम आदि दावा बाबत अधिकारों की घोषणा एवं खाता तकसीम बाबत, मुकदमा नं. 03 वर्ष 2025 बनाम 1. घनश्याम पुत्र श्री रावताराम जाति नायक निवासी 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. ..... 3. ..... 4. ..... मुसम्मी अखाराम वादी ने तुम्हारे खिलाफ ..... के लिए वाद संस्थित किया है कि अतएवं तुम्हे एतद्वारा आहत किया जाता है कि तुम या तो स्वयं या ऐसे अधिवक्ता द्वारा जो कि समय के रूपेण अनविज्ञ है और वाद सम्बन्धी सब सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है दिनांक 21 माह 03 सन् 25 वार.... को 10:00 बजे अद में दावें का उत्तर देने के लिए इस न्यायालय में उपस्थित हो और तुम्हे आगे यह निर्देश दिया जाता है कि तुम उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन फाईल करो और उस दिन सब दस्तावेजों को जो तुम्हारे कब्जे या शक्ति मे हो पेश करो जिन पर तुम अपनी प्रतिरक्षा या मुबरा या एतदावा निर्भर करते हो वहां तुम अपनी प्रतिरक्षा मुबरा प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ आगे को जाने वाली सूची में प्रविष्ट करेंगे। तुमको यह सूचना दी जाती है पूर्ववर्ण दिवस की तुम्हारी उपजाति चैक होने पर बाद तुम्हारी अनुपस्थिति में सुना जावेगा और अवधारित किया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 107/5.3.2025 को निकाला गया है।
मुहर - उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर।

बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला

बीकानेर, (कासं)। नयाशहर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने गई बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बीकेईएसएल) की टीम पर अचानक हमला हो गया। बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची टीम पर इलाके के लोगों ने पत्थर फेंके, जिससे तीन-चार कार्मिक घायल हो गए। जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

बीकेईएसएल के डी-1 एरिया के एईएन नितेश कुमार के अनुसार टीम नयाशहर थाना एरिया के बिश्नोई मोहल्ले में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान संजू पत्नी सुभाष बिश्नोई के घर में अंकुडिया से बिजली चोरी हो रही थी। वहीं पवन खींचड़ पुत्र रामस्वरूप खींचड़ के घर भी मीटर का तार हटाकर बिजली चोरी की जा रही थी। जैसे ही टीम ने चोरी के लिए लगाए गए तार हटाने शुरू कि तो मोहल्ले के लोग आक्रामक हो गए। देखते ही देखते पवन खींचड़, देशराज डेलू, संजय सीगड़, संदीप डेलू, रिझपाल, हंसराज धायल, मांगीलाल, अशोक बिश्नोई, प्रेम, बहादुर सियाग सहित 10-15 अन्य लोगों ने टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी और पत्थरबाजी करने लगे। इस हमले में 3-4 कार्मिक घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

- पत्थरबाजी में 3-4 कार्मिक घायल

फुफेरे भाई पर दुष्कर्म का केस

श्रीगंगानगर, (कासं)। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने फुफेरे भाई पर अपहरण और देहशोषण के आरोप लगाये हैं। इस संबंध में डीआईजी गौरव यादव के आदेश पर एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपी पंजाब का निवासी है। मामले की जांच एसएचओ संजय सिंह करेंगे। 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी नजदीकी रिश्ते में फुफेरा भाई है, ऐसे में उनके यहां उसका आना जाना था। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को झांसे में लेकर नशीला पेय पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। इसका अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। जब पीड़िता को होश आया तो आरोपी ने वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

यूडी टैक्स नहीं देने पर होंगे भवन सीज, वसूली की तैयारी शुरू

बीकानेर, (कासं)। नगर निगम अब यूडी टैक्स वसूली के लिए सख्ती करेगा। वित्तीय वर्ष पूरा होने के साथ ही टैक्स वसूली का दबाव है। यूडी टैक्स नहीं देने वालों के प्रतिष्ठान अब सीज करने की तैयारी शुरू कर दी गई।

निगम ने यूडी टैक्स के बकायादारों के सैकड़ों प्रतिष्ठानों की सूची बना ली है। फिलहाल दो भवनों को 3 महीने के लिए सीज करने के आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल नगर निगम का करीब डेढ़ सौ करोड़ रूपए यूडी टैक्स बकाया है। जो लोग नगर निगम पर सड़क ठीक ना करने, गड्ढे, सीवरेज जैसी छोटी मोटी शिकायतें करते हैं। वे ही लोग खुद निगम को समय पर टैक्स जमा नहीं कराते। इस साल का ही निगम को करीब 10 करोड़ रूपए यूडी टैक्स वसूलना है मगर अब तक करीब सवा दो करोड़ रूपए ही टैक्स जमा हुआ है। इसलिए अब निगम सख्ती पर उतर आया। इसलिए जिन लोगों का टैक्स बाकी है वे अब सावधान हो जाएं। क्योंकि नगर निगम की टीम कभी भी बिल्डिंग सीज करने आ सकती है। जिन लोगों को नोटिस मिल चुका उन पर तो गाज गिरनी तय है। बुधवार को निगम आयुक्त ने टीम बनाकर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 131,132 और 133 की शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्राफा बाजार तेलीवाड़ा के पास एक बिल्डिंग को 3 महीने के लिए सीज करने के आदेश जारी किए।

- टैक्स बकाया होने पर दो भवनों को 3 महीने के लिए सीज करने के आदेश जारी

कई बार नोटिस के बाद भी यूडी टैक्स जमा नहीं किया गया। दूसरी कार्रवाई नोखा रोड जैन कॉलेज के पीछे होगी। वहां भी टैक्स बकाया होने पर बिल्डिंग को 3 महीने के लिए सीज करने के आदेश कर दिए। नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष ने इसके आदेश जारी करते हुए उपायुक्त यशपाल आहूजा को पालना के निर्देश दिए। अधिकृत किया। संभावना है कि गुरुवार को ये दोनों भवन सीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा निगम की टीम बुधवार को गजनेर रोड पहुंची और यूडी टैक्स जमा कराने के लिए कहा।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/3570 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.2.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/3573 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.2.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/3576 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.2.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 18'-9'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/3579 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.2.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 17'-5'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 8'-9'' गुणा 17'-5'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/3582 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 20.2.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में व्यावसायिक भूखंड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 58/62 के किला नं. 24 में भूखण्ड माप 8'-9'' गुणा 17'-5'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक,